फर्द अहकॉम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) षिव जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री चन्द्रभानसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 आसुलाल पुत्र खेतमल जाति महाजन निवासी मौंखाबकला तह0 षिव जिला बाड़मेर		1.डूंगरा राम पुत्र धनाराम 2.मुकेष कुमार पुत्र तेजाराराम 3. पुराराम पुत्र देरामाराम 4. धुड़ाराम पुत्र नाथूराम 5. बाबूराम पुत्र मोतीराम 6. अमराराम पुत्र पुराराम 7. मोतीराम पुत्र नाथूराम 8. चेनाराम पुत्र नवलाराम जा. जाट 9. जोगाराम पुत्र बागाराम जाति भील नि.मौखाबकला तह. षिव 10. रायमलखां पुत्र सुमारखां 11. मिश्रीखां पुत्र अकबरखां 12. भलेखा पुत्र लालेखां 13. भागेखां पुत्र आचाारखां कौम मुसलमान नि0 कोहरियो की बस्ती तह0 षिव 14. हनुमानराम पुत्र ओपाराम 15. हनुमानराम पुत्र भोजाराम कौम जाट 16. रताराम पुत्र बागाराम कौम भील निवासी मौंखाबकला तह0 षिव जिला बाड़मेर

मुकदमा नम्बर :– ~~108~~ 285/2017

राजस्व आवेदन धारा 212 आर. टी.एक्ट सपठित आदेष 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
05.09.17	प्रार्थी के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी के अन्तर्गत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो। साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी वकील की बहस हैं कि प्रार्थी विवादित भूमि का एक मात्र रिकोडेड खातेदार हैं तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी के पड़ौसी अथवा रेकर्डेड खातेदार नही है। विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन व बलपूर्वक कब्जा कर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि बेंदखल करने पर उतारू हैं। विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर छोलिग/पत्थर एवं ईंटे डालकर जबरन कब्जा कर रहे हैं जिन्हे अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद्व किया जावे। यदि विप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो गये, तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी। अतः विप्रार्थीगण को प्रार्थी खातेदरी भूमि में दखलदाजी नहीं देने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गभीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण ने रातो रात छोलिग/पत्थर एवं ईटे डालकर जबरन कब्जा कर लिया तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। अतः प्रार्थी के आवेदन को अस्थाई रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाबखुर्द तहसील शिव के खसरा नम्बर 121 रकबा 30.17 बीघा भूमि [illegible] से आगामी पेशी तिथि तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी [illegible] पत्थर एवं ईटे इत्यादि नही डाले व प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे किसी भी प्रकार की दखलदाजी नही करे, तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस वास्ते जवाब हेतु जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.10.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार... हुक्म की ... में जारी हु...
22.6.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29.8.22 को पेश हो।	
29.8.22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहने से उक्त आवेदन भी अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

सोयामें,

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner